

प्रेषक,

डी०एस० शर्मा,
विशेष सचिव/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एसएलएनए,
उ०प्र०शासन

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी
उ०प्र०।

भूमि विकास एवं जल संसाधन अनुभाग-1

लखनऊ दिनांक २७ अप्रैल, 2012

विषय:- समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत स्टेट लेबिल डाटा सेन्टर एवं प्रदेश की चयनित जनपदों में स्थापित वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर में टेक्निकल एक्सपर्ट एवं कार्मिकों की सेवायें सेवा प्रदाता के माध्यम से लिये जाने एवं वर्ष 2012-13 में सेवा प्रदाता का कार्यकाल बढ़ाये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० शासन के पत्र सं० 453 / 54-1-11/1(समादेश)2010 दिनांक 23 मई, 2011 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्टेट लेबिल डाटा सेन्टर तथा जनपद स्तरीय वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर में एक्सपर्ट एवं कार्मिकों की तैनाती हेतु कार्य आवंटन किया गया है। उक्त के अतिरिक्त यह अवगत कराना है कि सेवा प्रदाता का अनुबन्ध दिनांक 31 मार्च, 2012 तक किया गया था।

2. स्टेट लेबिल डाटा सेन्टर एवं जिला स्तर पर स्थापित वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर में सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों की सेवायें कार्यक्रम की महत्ता एवं कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न होने के लिये सेवा प्रदाता का कार्यकाल दिनांक 30 जून, 2012 तक के लिये प्रभावी रहेगा।

भवदीय

(डी०एस० शर्मा)
विशेष सचिव/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एसएलएनए,
उ०प्र०शासन

संख्या-१९० (१) / 54-1-2012/1(समादेश) / 2012 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. स्टाफ ऑफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र०शासन
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०
4. आयुक्त एवं प्रशासक, शारदा सहायक समादेश लखनऊ।
5. अध्यक्ष एवं प्रशासक, रामगंगा समादेश कानपुर।
6. उप निदेशक, समादेश बंधु, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०शासन।
7. समस्त उप निदेशक/ भूमि संरक्षण अधिकारी, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०
8. स्टेट लेबिल डाटा सेन्टर
9. मे० वाणी सिस्टम, प्रा० लि० १६, विधानसभा मार्ग लखनऊ।
10. मे० विव्योर इन्फो प्रा०लि० रोहित भवन सप्त मार्ग लखनऊ।

आज्ञा से

डी०एस० शर्मा,
विशेष सचिव/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एसएलएनए,
उ०प्र०शासन